भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3926
दिनांक 17 मार्च, 2026 / 26 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

सीसीटीएनएस के माध्यम से ऑनलाइन शिकायतें

†3926. श्री अरुप चक्रवर्तीः
श्री देवुसिंह चौहानः
श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादवः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस) के कार्यकरण की स्थिति क्या है और सीसीटीएनएस से जुड़े हुए पुलिस स्टेशनों की संख्या कितनी है और इसकी राज्यवार स्थिति क्या है;
(ख) राज्य नागरिक पोर्टलों के माध्यम से पिछले तीन वर्षों के दौरान, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित दर्ज की गई ऑनलाइन शिकायतों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इनकी कुल संख्या कितनी है;
(ग) पुलिस स्टेशनों में सीसीटीएनएस के डाउनटाइम का डेटा क्या है और इसकी आवृत्ति क्या है, इसकी अवधि क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सीसीटीएनएस प्लेटफॉर्म राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के बीच निर्बाध और तात्कालिक डेटा साझाकरण को सक्षम बनाता है;
(ङ) यदि हां, तो अंतर-राज्यीय अंतरसंचालनीयता को सुदृढ़ करने, डेटा प्रारूपों के मानकीकरण और केंद्रीकृत अभिगम तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं; और
(च) वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान सीसीटीएनएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल रूप से पंजीकृत एफआईआर की कुल संख्या कितनी है और पिछले वर्षों की तुलना में डिजिटल पंजीकरण में राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि कितनी है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

लोक सभा अता. प्र.सं. 3926, दिनांक 17.03.2026

(क): दिनांक 01.02.2026 तक, सभी 17,798 पुलिस स्टेशन सीसीटीएनएस का उपयोग कर रहे हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है।

(ख) और (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करने, अपराधों और अपराधियों की जांच और अभियोजन चलाने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की है और वे मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में राज्य नागरिक पोर्टलों तथा सीसीटीएनएस का कार्यान्वयन एवं संचालन किया जाता है, जिसमें इन प्रणालियों के संचालन, निगरानी तथा किसी भी प्रकार के सिस्टम डाउनटाइम से संबंधित पहलू भी शामिल हैं। अतः राज्य नागरिक पोर्टलों के माध्यम से पिछले तीन वर्षों के दौरान, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित दर्ज की गई ऑनलाइन शिकायतों का राज्यवार विवरण, तथा पुलिस थानों में सीसीटीएनएस के डाउनटाइम की आवृत्ति, अवधि और उसके कारणों से संबंधित जानकारी केंद्रीय स्तर पर संधारित नहीं की जाती है। हालांकि, सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में राज्य नागरिक पोर्टल लॉन्च किए हैं, जिनके ज़रिए नागरिक ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और अपनी दर्ज की गई शिकायतों पर हुई कार्रवाई का स्टेटस देख सकते हैं।

(घ) और (ङ): सीसीटीएनएस ने सभी पुलिस स्टेशनों को एफआईआर, चार्जशीट आदि सहित पुलिस संबंधी प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ करने में सक्षम बनाया है। इसके लिए संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य डेटा केंद्रों में होस्ट किए गए सीसीटीएनएस एप्लिकेशन में डेटा दर्ज करना होता है। यह डेटा लगभग वास्तविक समय में राष्ट्रीय डेटा केंद्र पर कॉपी हो जाता है। सभी पुलिस स्टेशनों को राष्ट्रीय डेटा केंद्र पर अपराध, आपराधिक और संपत्ति संबंधी जानकारी खोजने की सुविधा प्रदान की गई है। सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सीसीटीएनएस एप्लिकेशन में जानकारी दर्ज करने के लिए मानकीकृत एकीकृत जांच प्रपत्रों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे सीसीटीएनएस में डेटा प्रारूप का देशव्यापी मानकीकरण हो रहा है। राज्य, जिला, पुलिस स्टेशन, अधिनियम और धारा आदि की विशिष्ट पहचान के लिए मास्टर कोड भी प्रदान किए गए हैं, ताकि सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियां मानक कोड का उपयोग करें।

(च) वर्ष 2023, 2024 और 2025 के दौरान सीसीटीएनएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल रूप से दर्ज की गई एफआईआर का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण, साथ ही पिछले वर्षों की तुलना में दर्ज की गई प्रतिशत वृद्धि, अनुलग्नक-II में प्रदान की गई है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 3926, दिनांक 17.03.2026

अनुलग्नक – I

अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम के क्रियान्वयन एवं संचालन की स्थिति

दिनांक 1 फरवरी 2026 तक

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कुल पुलिस स्टेशन	जहां सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर लागू है	एनडीसी में डेटा प्रतिलिपि प्रारंभ (हाँ/नहीं)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	26	26	हाँ
2	आंध्र प्रदेश	1025	1025	हाँ
3	अरुणाचल प्रदेश	113	113	हाँ
4	असम	335	335	हाँ
5	बिहार	968	968	हाँ
6	चंडीगढ़	22	22	हाँ
7	छत्तीसगढ़	501	501	हाँ
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	13	13	हाँ
9	दिल्ली	225	225	हाँ
10	गोवा	47	47	हाँ
11	गुजरात	805	805	हाँ
12	हरियाणा	394	394	हाँ
13	हिमाचल प्रदेश	169	169	हाँ
14	जम्मू एवं कश्मीर	268	268	हाँ
15	झारखंड	543	543	हाँ
16	कर्नाटक	1103	1103	हाँ
17	केरल	567	567	हाँ
18	लद्दाख	11	11	हाँ
19	लक्षद्वीप	16	16	हाँ
20	मध्य प्रदेश	1117	1117	हाँ
21	महाराष्ट्र	1204	1204	हाँ
22	मणिपुर	102	102	हाँ
23	मेघालय	81	81	हाँ
24	मिजोरम	44	44	हाँ
25	नागालैंड	84	84	हाँ
26	ओडिशा	681	681	हाँ
27	पुडुचेरी	57	57	हाँ
28	पंजाब	455	455	हाँ
29	राजस्थान	1051	1051	हाँ
30	सिक्किम	30	30	हाँ
31	तमिलनाडु	2096	2096	हाँ
32	तेलंगाना	877	877	हाँ
33	त्रिपुरा	90	90	हाँ
34	उत्तर प्रदेश	1849	1849	हाँ
35	उत्तराखंड	166	166	हाँ
36	पश्चिम बंगाल*	663	663	हाँ
	कुल	17798	17798	हाँ (सभी 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश)

(*डेटा आंशिक रूप से साझा किया गया)

लोक सभा अता. प्र.सं. 3926, दिनांक 17.03.2026

अनुलग्नक – II

एफआईआर के डिजिटल पंजीकरण की स्थिति (राष्ट्रीय डेटा केंद्र में प्रतिलिपि किए गए आंकड़ों के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	एफआईआर का डिजिटल पंजीकरण				
		2023	2024	% वृद्धि (2023-2024)	2025	% वृद्धि (2024-2025)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1849	1778	-4%	1517	-15%
2	आंध्र प्रदेश	242132	219883	-9%	188206	-14%
3	अरुणाचल प्रदेश	2795	2860	2%	2789	-2%
4	असम	57474	36231	-37%	44202	22%
5	बिहार	261949	268275	2%	305665	14%
6	चंडीगढ़	3831	3626	-5%	4146	14%
7	छत्तीसगढ़	107781	111649	4%	113934	2%
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	601	413	-31%	638	54%
9	दिल्ली	353944	292243	-17%	256861	-12%
10	गोवा	2980	3266	10%	3240	-1%
11	गुजरात	579051	611578	6%	641114	5%
12	हरियाणा	159909	137165	-14%	129960	-5%
13	हिमाचल प्रदेश	20087	17995	-10%	18885	5%
14	जम्मू एवं कश्मीर	12632	13959	11%	26253	88%
15	झारखंड	58595	57721	-1%	62439	8%
16	कर्नाटक	234939	220734	-6%	225301	2%
17	केरल	369811	533881	44%	610165	14%
18	लद्दाख	2908	530	-82%	612	15%
19	लक्षद्वीप	116	65	-44%	111	71%
20	मध्य प्रदेश	495094	450730	-9%	437039	-3%
21	महाराष्ट्र	602600	615481	2%	616296	0.13%
22	मणिपुर	556	846	52%	1184	40%
23	मेघालय	1845	1743	-6%	3641	109%
24	मिजोरम	2987	1119	-63%	1303	16%
25	नागालैंड	427	582	36%	576	-1%
26	ओडिशा	191135	213786	12%	229793	7%
27	पुडुचेरी	6588	7165	9%	7711	8%
28	पंजाब	69980	63417	-9%	85909	35%
29	राजस्थान	292005	285033	-2%	273507	-4%
30	सिक्किम	568	665	17%	623	-6%
31	तमिलनाडु	340027	219347	-35%	270738	23%
32	तेलंगाना	233394	240667	3%	229199	-5%
33	त्रिपुरा	3861	3359	-13%	3333	-1%
34	उत्तर प्रदेश	895528	766779	-14%	782901	2%
35	उत्तराखंड	31410	28019	-11%	27143	-3%
36	पश्चिम बंगाल*	196642	215321	9%	252788	17%
	कुल	5838031	5647911	-3%	5859722	4%

(*डेटा आंशिक रूप से साझा किया गया)
